1.	योजना का नाम	**विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	विशेष योग्यजन युवक/युवतियों को विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु रुपये 25,000/- प्रति दम्पत्ति आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही विशेष योग्यजनों के परिचय सम्मेलन आयोजित करने वाली संस्था को आयोजन व्यय के रुप में रुपये 20,000/- स्वीकृत किये जाते हैं।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1997
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	1. विशेष योग्यजन वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 2. प्रार्थी के पास चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का विशेष योग्यजनता प्रमाण पत्र हो। 3. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 4. संरक्षक/माता-पिता अथवा आवेदक स्वरोजगार में हो तो समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक न हो।
6.	देय सुविधाएं	प्रति दम्पति राशि रूपये 25,000/- की अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है, दोनों के विशेष योग्यजन होने पर भी अनुदान राशि अधिकतम 25,000 रूपये ही देय होगी।
7.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
8.	आवेदन कहां किया जावे	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• शादी का कार्ड • विकलांगता प्रमाण-पत्र • वर-वधु के माता-पिता का शपथ-पत्र • जन्म तिथि प्रमाण-पत्र • आय का शपथ पत्र • विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र • पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र
10.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।